


संचिका सं०-7 / स्वा०निदे०-02-01 / 2017...225(7)/

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि-पत्र


स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश सं०-124(7) दिनांक-01.11.2017 के कंडिका संख्या-8 के बाद एक कंडिका-9 निम्न प्रकार जोड़ कर पढ़ा जाय :-

9. माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है ।  
शेष यथावत रहेंगे ।

  
20/3/18  
(सच्चिदानंद चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक : 225(7) / पटना, दिनांक : 20-3-18  
प्रतिलिपि:-महालेखाकार(ले०एवंह०) बिहार, पटना/ वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, पटना/प्रधान सचिव के सचिव/निदेशक प्रमुख के सचिव/अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/ परियोजना निदेशक, बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, पटना /लेखा शाखा (दोहरी प्रति में)/प्रशाखा-7 एवं संबंधित सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित ।

  
20/3/18  
सरकार के विशेष सचिव ।